समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र. क्र. /अपील/18

भगवत सिंह आ0 श्री रामकिशन

निवासी ग्राम मुआलियाखेदर तहसील नरसिहंगढ

जिला राजगढ म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार

तहसील नरसिहंगढ जिला राजगढ

........अनावेदक

म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदक विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 376/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30/10/117 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोद्रय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील नरसिहंगढ जिला राजगढ द्वारा कथित शिकायत के आधार पर आवेदक के विरूद्व ग्राम कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया कि उसके द्वारा ग्राम मुआलियाखेदर स्थित भूमि खसरा क0 147/2 रकवा 0.367 में से रकवा 50X25 पर गड्डे खोदकर एवं रकवा 0.060 हेक्टयर भूमि पर गेहूँ बोकर अवैध कब्जा किया गया है । तहसीलदार महोदय द्वारा दिये कारण बताओ सूचना पत्र का आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत किया गया परन्तु तहसील न्यायालय ने अपीलार्थी कि ओर से प्रस्तुत उत्तर पर विचार किये विना ही आवेदक के विरूद्व रू0 10,000/– का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए उसे प्रश्नाधीन भूमि से वेदखल करने के आदेश दिये। साथ प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी महोदय भेजा गया । परन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने तहसील न्यायालय द्वारा की गयी विवादित कार्यवाही पर नियमानुसार विचार किये विना ही **प्रकरण क0 04/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17/07/15** के द्वारा आवेदक को सिविल जेल भेजे जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अपील अपर कलेक्टर राजगढ के समक्ष प्रस्तुत कि गयी। अपर कलेक्टर राजगढ द्वारा **प्रकरण क0 37/बी–121/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 14/03/15** के द्वारा अपीलार्थी कि ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने के आदेश दिये । अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कि गयी । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ...

(13)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरणक्रमांक / तीन / निग0 / राजगढ़ / भू.रा. / 2018 / 1571

भगवत सिंह **विरूद्ध** मध्य प्रदेश शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-03-18 भोपाल कैम्प.	यह निगरानी प्रकरण न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 376 / अपील / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री प्रेम सिंह ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता के विन्दु पर सुना गया। प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों की ओर इस शीर्ष न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तर्क के दौरान ग्राम पंचायत मुआलिया खेदर परगना नरसिंहगढ जिला राजगढ की ओर से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.03.2018 प्रस्तुत कर बताया गया कि जिस शासकीय सर्वे कमांक 0147 / 2 पर आवेदक का मकान बना होकर कब्जा है उसी शासकीय सर्वे कमांक 0147 / 2 पर अन्य व्यक्तियों रूप सिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर, सर्जन सिंह पिता राधेकिशन, फतेह सिंह पिता राधेकिशन जगदीश पिता शम्भू लाल जाति मेहतर सहित अन्य कुल 10–11 लोगों के मकान बने हुए है किन्तु अतिकमण हटाए जाने की विधिक कार्यवाही सिर्फ आवेदक के विरूद्ध ही की जा रही है जो उचित नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही दुर्भाविक रूप से की जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रश्नाधीन आदेश निरस्त करने एवं जांच कराया जाकर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत ग्राम पंचायत के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.03.2018 का अवलोकन किया गया। ग्राम	

—3

प्रकरणक्रमांक / तीन / निग0 / राजगढ़ / भू.रा. / 2018 / 1571

भगवत सिंह **विरूद्ध** मध्य प्रदेश शासन

पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 30.10.2017 का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया है कि पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित शासकीय सर्वे कमांक 147 / 2 में ही आवेदक का भी मकान बना है आवेदक के साथ–साथ पंचायत के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम पंयायत के ही अन्य 10 व्यक्तियों के भी मकान बने हुए है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित विधिक कार्यवाही मात्र आवेदक के विरूद्ध ही की जा रही है पंचायत के प्रमाण पत्र में अंकित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं । आवेदक के अतिरिक्त अन्य अतिक्रामकों के विरूद्ध अतिक्रमण के संबंध में विधिक कार्यवाही न किए जाने के कोई कारण आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं किए गये हैं। अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार उपस्थित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 30.10.2017 स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत मुआलिया खेदर परगना नरसिंहगढ जिला राजगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.03.2018 के संदर्भ में तीन माह में जांच कर संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसारण में शासकीय सर्वे कमांक 147 / 2 को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने के संबंध में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के अनुसरण में नीतिगत निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। चूंकि भूमि शासकीय है ऐसी स्थिति में आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजगढ को निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे। प्रकरण दा0रि0 हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य